५.६.२५

पत्रावली पेश हुयी। पेशकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण शुद्धि का प्रतीत होता कि प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

[illegible]

[illegible]

प्रार्थीया

बनाम

[illegible]

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पु.
राजस्व अधिनियम बाबत दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थीया सोनम बाई पुत्री रामलाल जाति चमार निवासी [illegible] तहसील रामगढ़ अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075-2079 के खाता सं० 136 की आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.44, 66 रकबा 0.20, 606 रकबा 0.20, 700 रकबा 0.45, 701 रकबा 0.55, 702 रकबा 0.37 हैक्ट० कुल किता 6 रकबा 2.20 हैक्ट० का 1/112 हिस्सा [illegible] तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है, जो इस प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। मुताबिक जमाबन्दी अन्य खातेदारान् से किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। विवादित आराजी प्रार्थीया के पिता रामलाल की पुश्तैनी आराजी है। जो प्रार्थीया को अपने पिता रामलाल के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत मे प्राप्त हुई है। पर काबिज रहकर काश्त करती काबिज है। प्रार्थीया अपने पिता की आराजी चली आ रहा है। और आज भी प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया का नाम सोनू लिख दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही सेनम बाई है। जैसा कि प्रार्थीया के राशन कार्ड, अकतालिका, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड मे इत्यादि मे है जो सही है। तथा ग्राम पंचायत सैथली के लैटरपैड से बखूबी साबित है। वर्तमान मे प्रार्थिया बालिग है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नकले संलग्न कर प्रस्तुत है। प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम दर्ज रहने से प्रार्थीया को किसी भी सरकारी व गैरसरकारी योजना का लाभ नही मिल रहा है। प्रार्थीया हाल राजस्व रिकार्ड से गलत नाम सोनू के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सोनमबाई तथा वर्तमान में बालिग होने से राजस्व रिकार्ड से नाबालिग सरपरस्त माता को मुक्तता करवाना चाहती है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक प.न. /Dilrmp/प. 126/2021 / 4085 दिनांक 08.10.2021 में डीडीशन कार्य के दौरान भ्रमवश में हुए गलतियों को सही करने हेतु निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि होने से शुद्धि किये जाने का राजस्थान भू० राजस्व (भू०अ०) नियम 1957 में प्रावधान है अतः उक्त जमाबन्दियों में शुद्धि राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रार्थीया ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज हो रहा है। जिससे प्रार्थीया के हकूक मायस्त हो रहे है। प्रार्थीया को सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए मिन प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्ती कराने की मजाहमत पैदा हुई जो अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

प्रार्थीया ने राजस्व रिकार्ड में गलत नाम को दुरूस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ के यहां प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम किसी भी त्रुटि को दुरूस्त नही कर सकते। आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये उसके बाद ही हम दुरूस्त कर सकते है। प्रार्थीया के पिता का पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम सोनू दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि दस्तावेजों में सोनमबाई है। तथा वर्तमान मे बालिग है। इसलिए प्रार्थीया सही नाम व नाबालिग सरपरस्त माता को दुरूस्त कराने की कानूनन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं० 134 के आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.44, 66 रकबा 0.28, 665 रकवा 0.20, 700 रकवा 0.45, 701 रकवा 0.55, 702 रकबा 0.37 हैक्ट० कुल किता 6 रकबा 2.29 हैक्ट० का 1/112 हिस्सा वाके ग्राम सैंथली तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान में प्रार्थीया का नाम राजस्व कर्मचारियान द्वारा सहवन से सोनू लिख दिया जो गलत है उसे दुरूस्त कर वास्तविक नाम दस्तावेजात् के अनुसार सोनम बाई किये जाने के आदेश सादर फरमाये जावें। तथा वर्तमान में प्रार्थीया वालिग है। इसलिए राजस्व रिकार्ड से नाबालिग सरपरस्त माता का इन्द्राज भी हटाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) तहसीलदार रामगढ की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाव में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि वाद में वर्णित वाके ग्राम सैथली के खसरा नम्बर 772 खाता संख्या 193 मे प्रार्थीया नाबालिग सोनू पुत्री रामलाल सरक्षक सरपरस्त हिस्सा 1/112 जाति जाटव सा.देह खातेदार व खसरा नम्बर 541, 664, 665, 700, 701, 702 खाता संख्या 134 में प्रार्थीया नावालिग सोनू पुत्री रामलाल सरक्षक सरपरस्त हिस्सा 1/112 जाति जाटव सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 469 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे नावालिग सोनू पुत्री रामखिलाडी दर्ज हुआ है। जॉच रिपोर्ट पटवारी एवं पटवारी के द्वारा तैयार मौका पर्चा के अनुसार प्रार्थीया को घर पर सोनू के नाम से व अन्य दस्तावेजो में सोनमबाई के नाम से जाना जाता है। दोनो नाम एक ही महिला के है। मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2018 की अंक तालिका के अनुसार प्रार्थीया वालिग हो चुकी अतः मुताबिक जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थीया का राजस्व "रिकार्ड में सही नाम सोनू के स्थान पर सोनमबाई किया जाना व नाबालिग से वालिग किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके ग्राम सैथली के आराजी खसरा नं0 541 रकबा 0.44, 66 रकबा 0.20, 605 रकबा 0.20, 700 रकबा 0.45, 701 रकबा 0.55, 702 रकबा 0.37 हैक्ट० प्रार्थीया का नाम सोनु पुत्री रामलाल के स्थान पर सोनम बाई पुत्री रामलाल तथा प्रार्थीया बालिग होने से नाबालिग का अंकन हटाया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित आराजी ग्राम सैथली के आराजी खसरा नं0 541, 66, 665, 700, 701, 702 में प्रार्थीया का नाम सोनु के स्थान पर सोनम बाई तथा नाबालिग से बालिग किया जाना उचित प्रतित होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया का नाम सोनु के स्थान पर सोनम बाई तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दुरूस्त किया जाता है। उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर